बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

दिनांक–11.12.2015 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में संभावित पेयजल संकट के आलोक में सम्पन्न आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति :–

1. विकास आयुक्त, बिहार
2. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग
3. प्रधान सचिव, कृषि विभाग
4. प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
5. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग
6. सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
7. अपर सचिव, लघु जल संसाधन विभाग
8. उप सचिव, ऊर्जा विभाग

दक्षिण–पश्चिमी मॉनसून एवं उत्तरी–पूर्वी मॉनसून के कमजोर होने के फलस्वरूप सामान्य से कम वर्षा के आलोक में संभावित पेय जल संकट से निपटने हेतु आपातकालीन प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक में संबंधित विभाग की समीक्षा की गई और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया जो निम्नवत् है :–

1. <u>आपदा प्रबंधन विभाग</u>

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बताया गया कि इस वर्ष मॉनसून की कमजोर स्थिति तथा हथिया नक्षत्र में वर्षा नहीं होने के कारण वर्ष 2016 के माह मार्च से गंगा के दक्षिण के जिलो में पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है। प्रधान सचिव द्वारा पेय जल संकट प्रबंधन हेतु अपनायी जाने वाली मानक संचालन प्रकिया का प्रस्तुतिकरण किया गया तथा विभिन्न विभागों के भूमिका के संबंध में जानकारी दी गई।

2. <u>लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग</u>

प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा बताया गया कि राज्य के किसी भी जिले में भूगर्भ जल स्तर पिछले वर्ष की तुलना में कम नहीं हुई है। इसकी लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है। गया शहर में अगले वर्ष माह मार्च अथवा उसके बाद पेयजल की समस्या हो सकती है।

मुख्य सचिव द्वारा पेयजल संकट से निपटने हेतु आकस्मिक कार्य योजना पूर्व से ही तैयार करने का निदेश दिया गया। उनके द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि पेय जल संकट उत्पन्न होने पर टैंकरो के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आकस्मिक योजना तैयार कर ली जाए तथा जल श्रोतों को चिन्हित कर ली जाए।

3. <u>पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग</u>

[illegible]

[illegible]

सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि पशु शिविरों के स्थापना हेतु 1640 स्थलों का चयन कर लिया गया है जिसमें लगभग 800 से अधिक पशु शिविर लघु जल संसाधन विभाग के नलकूपों के पास स्थित है।

मुख्य सचिव द्वारा लघु जल संसाधन के जल श्रोतो का भौतिक सत्यापन कराने का निदेश सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को दिया गया।

4. <u>नगर विकास एवं आवास विभाग</u>

प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बताया गया कि नगरीय जलापूर्ति योजना का संचालन के लिए कौन विभाग उत्तरदायी है, के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा बताया गया कि नगरीय जलापूर्ति योजना का दायित्व नगर विकास एवं आवास विभाग को दिया जा चुका है, जिसपर प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा उक्त दायित्व को निभाने में अपनी सहमति प्रदान की।

मुख्य सचिव द्वारा प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को यह निदेश दिया गया कि नगरीय जलापूर्ति योजना हेतु अभियंताओं की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए।

5. <u>लघु जल संसाधन विभाग</u>

मुख्य सचिव द्वारा लघु जल संसाधन विभाग के जल श्रोतों यथा आहर, पाईन, कुआँ, तालाब तथा नलकूपों की स्थिति का भौतिक सत्यापन कराने का निदेश दिया गया।

6. <u>ऊर्जा विभाग</u>

मुख्य सचिव द्वारा ऊर्जा विभाग को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं लघु जल संसाधन विभाग से समन्वय स्थापित कर विद्युत दोषों को दूर करने का निदेश दिया।

मुख्य सचिव द्वारा पूर्व में बाढ़ से बचाव हेतु उँचे स्थानों पर बने बाढ़ आश्रय स्थल की स्थिति की जानकारी आर0ई0ओ0 से प्राप्त करने का निदेश आपदा प्रबंधन विभाग को दिया गया। उनके द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि गंगा के दक्षिण अवस्थित जिलों के जिला पदाधिकारी जिला टास्क फोर्स की बैठक कर संभावित पेयजल संकट से निपटने हेतु लगातार स्थिति की समीक्षा करें।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–
(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव
बिहार

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–07 / 2014..... /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव / सचिव, नगर विकास विभाग / पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / कृषि विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / उर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिरूद्ध कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–07 / 2014.....4574...../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 18/12/15

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी / विकास आयुक्त बिहार के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

18/12/15
विशेष सचिव